न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 14/2022

प्रार्थी

1. रामलाल पुत्र मोडाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जगदीश प्रसाद पुत्र कानाराम जाति माली निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 2 – सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक** 7/10/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 एक ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के मूल निवासी है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम खारिया मीठापुर बिलाडा की सरहद में खसरा नम्बर 752 रकबा 0.0728 हैक्टयर स्थित है। उक्त खसरे की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा सुदा है प्रार्थी के नाम बतौर खातेदारी में खातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त खसरे को आगे प्रार्थना पत्र में मार्क ABCD वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 0.0809 हैक्टयर स्थित है। प्रार्थी की भूमि मौके पर रेकर्ड अनुसार दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 1 की जमीन पर कतई कब्जा नहीं है बावजूद अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी की गैर मौजूदगी में प्रार्थी की जमीन के पूर्व दिशा की तरफ व अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 751 के पश्चिम दिशा की तरफ संलग्न नक्शा में मार्क ABCD स्थान पर जबरन कब्जा कर लिया है जिनको हटाने एवं प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 752 के पूर्व दिशा की तरफ मार्क ABCD तरफ किये गये अतिक्रमण को खाली करवाने एवं अप्रार्थी सं. 1 का कोई हक नहीं

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

होने एवं एक मात्र प्रार्थी की खातेदारी की भूमि होने बाबत अप्रार्थी सं. 1 को कहा गया मगर अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 752 में मार्क ABCD को खाली करने से स्पष्ट रूप से दिनांक 28.02.2022 को मना कर दिया है। तथा प्रार्थी को एलानिया धमकीया दी कि वादग्रस्त जमीन से जबरन लाठियों के बल पर बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को जान से मार दूंगा एवं प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फंसा दूंगा इस प्रकार वादग्रस्त जमीन से अप्रार्थी सं. 1 को बेदखल करने का वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई कानूनी उपाय नही है। वादग्रस्त भूमि मार्क ABCD वादी की खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है चूकि अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 752 के पूर्व दिशा की तरफ मार्क ABCD से बेदखल नहीं किया एवं जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द नही किया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि के पूर्व दिशा की तरफ मार्क ABCD से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी को भारी हानि होगी जो कानून एवं न्याय की मंशा कतई नहीं है। वादग्रस्त जमीन में अप्रार्थी सं. 1 का आज तक कोई हक हिस्सा नहीं रहा है बावजूद अप्रार्थी सं.1 लाठियों के बल पर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 752 के पूर्व दिशा की तरफ मार्क ABCD को हडपने की नियत से अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है जिसे अविलम्ब हटाया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी सं. 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थी की भूमि मार्क ABCD पर किये गये अतिक्रमण को अविलम्ब हटाया जावे। तथा अप्रार्थी सं. 1 को पुनः पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी की भूमि पर दुबारा कब्जा न तो स्वयं करे व न ही अपने नौकर, मजदूर, एजेण्ट आदि के माध्यम से ही करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से काउण्टर प्रार्थना पत्र मय जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 सही होने से स्वीकार है पद सं. 2 सही होने से स्वीकार है परन्तु प्रार्थी का कथन की प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मार्क ए बी सी डी भाग पर जबरन कब्जा करने के बाद गलत व मनगढत आधारहीन होने से अस्वीकार है। पद सं. 3 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि होने का कथन करता है। परन्तु प्रार्थी कथन कि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा सं. 751 के पश्चिम दिशा में मार्क ए,बी,सी,डी स्थान पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा कर लिया गया। परन्तु कब्जा किस रूप में कब किया गया, नहीं दर्शाया। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा कब्जा करने की जानकारी कब व केसै हुई। नहीं दर्शाया गया। अप्रार्थी द्वारा किया गया कब्जा कितने वर्षो से है खुलाशा नही किया तथा प्रार्थी की भूमि की लम्बाई चौडाई कितनी है तथा अप्रार्थी पर लगाये गये आरोपों में कितनी लम्बाई चौडाई के भू भाग पर अतिक्रमण किया गया है इत्यादि प्रार्थना पत्र में वर्णित नही किया गया है प्रार्थी का कथन कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28.02.2022 को मार्क ए,बी,सी,डी स्थान खाली करने से स्पष्ट मना कर दिया है। बिल्कुल गलत व आधारहीन है अप्रार्थी सं.1 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर अपने जीवनकाल में किसी प्रकार से कब्जा नहीं किया तथा न ही कभी अतिक्रमण करने का विचार रखता है प्रार्थी बिना वजह तथ्यों को छुपाकर झूठे मनगढत कहानी बनाकर अप्रार्थी सं. 1 को अतिक्रमी घोषित करवाकर अप्रार्थी सं. 1 को पीढियों से प्राप्त अधिकारों से वंचित करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। पद सं. 4 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी अपने वाद में पूर्णरूप से तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया गया है। प्रार्थी के पूर्व खातेदार मोडारामजी रहे। मोडारामजी के पूर्व वक्त सेटलमेन्ट से खातेदार मुकनाराम वल्द कालू कौम माली साकिन खातेदार व उनके वारिसान की भूमि रही। जो अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वजोंमें से है। सेटलमेंट के बााद अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वज को मोके पर मकान निर्माण हेतु बंट दिया गया। अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वज केलुपोश झोपडिया बनाकर काफी वर्षो तक निवास किया तथा बाद में अप्रार्थी सं. 1 के पूर्व पुरषों द्वारा अपने बंट में केलुपोश झोपडियो के स्थान पर पक्का मकान निर्माण करवा दि़या। प्रार्थी के पूर्वज द्वारा वादग्रस्त भूमि के खरीद के समय अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वज का वर्तमान जगह पर मकान बना हुआ था अर्थात अप्रार्थी सं. 1 जन्म से इसी स्थान पर निवास करता आ रहा है। प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा भूमि खरीद करने से लेकर वाद व प्रार्थना पत्र का नोटिस प्राप्ति तक मौके पर रहवास को लेकन किसी प्रकार से ऐतराज नहीं किया। अप्रार्थी सं. 1 अपने पूर्वजों से बंटसुदा भूमि पर पर निर्मित मकान में मालिक की हैसियत से पीढीयों से निवास करता आ रहा है। पद सं. 5 का जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमि पर पीढीयों से निर्मित मकान में रहवास करता रहा है। तब से लेकन वर्तमान तक शान्तिपूर्वक काबिज व उपयोग व उपभोग में है। इस प्रकार प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर बिना वजह जमीनों के भाव बढने व प्रलोभन में आकर अप्रार्थी सं. 1 के पीढीयों से स्थित हिस्सा भूमि से महरूम करने पर आमादा है। ऐसा करने पर प्रार्थी को कोई कानूनी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अधिकार प्राप्त नहीं होते। सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला किसी भी रूमें प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। काउण्टर प्रार्थना पत्र का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की सरहद में खसरा नम्बर 751 रकबा 0.0809 हैक्टयर अप्रार्थी प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के सहखातेदारी एवं कब्जा काश्त का स्थित है। ग्राम खारिया मीठापुर बिलाडा की सरहद में खसरा नम्बर 752 रकबा 0.0728 हैक्टयर अप्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्व पुरूष मुकनाराम वल्द कालु कौम माली साकिन खातेदार की खातेदारी भूमि रही है। जो कालान्तर में वादी के खातेदारी में स्थित है। उपरोक्त खसरान भूमि में अप्रार्थी सं. 1 रहवासीय मकान के पूर्व व पश्चिम भुजा 56 व उतर व दक्षिण भुजा 58 फुट कुल क्षेत्रफल 3248 वर्गफुट पीढीयों से आया हुआ है। सबूत के रूप में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 1047 व 1048 की पेश है। अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वज केलुपोश झोपडिया बनाकर काफी वर्षो तक निवास किया तथा बाद में अप्रार्थी सं. 1 के पूर्व पुरषों द्वारा अपने बंट में केलुपोश झोपडियो के स्थान पर पक्का मकान निर्माण करवा दिया। वादग्रस्त भूमि में स्थित रहवासीय मकान प्रार्थी के पीढीयों से बंट में स्थित है। तथा लगातार प्रार्थी के खरीद करने से पूर्व से पक्का मकान बनाकर मौके पर निवास व उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 को पूर्णरूप से कानूनी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन स्थापित हो चुका है।

अतः काउण्टर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि काउण्टर प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में स्थित अप्रार्थी सं. 1 का विभिन्न भुजाओं में स्थित रहवासीय मकान में किसी प्रकार का स्वयं नोकर, चाकर, हाली एजेन्ट आदि से दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करे एवं न ही वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार से रदोबदोल करे। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा प्रार्थी को पाबन्द किया जावें।

प्रार्थी की ओर से जवाबबुलजवाब प्रार्थना पत्र व जवाब काउण्टर जवाब पेश किया है जिसके तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 कानूनी है जवाब प्रार्थना पत्र का पद सं. 2 से 5 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थना पत्र का पद सं. 2 से 5 संही है। प्रार्थी द्वारा जवाब काउण्टर प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 गलत होने से अस्वीकार है खसरा नम्बर 751 गै.मु.बेरा है। जो सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। जिसमें प्रार्थी का 1/32 वां हिस्सा है। मगर खसरा नम्बर 752 0.0728 हैक्टयर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पद सं. 2 गलत

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि में मकान 50—60 वर्षो का पुराना नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है बावजूद अप्रार्थी को प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने का कोई अधिकार पैदा नहीं है होता है प्रार्थी की खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी प्रार्थी की जमीन पर अतिक्रमी है।

अतः जवाबबुल जवाब प्रार्थना पत्र व जवाब काउण्टर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी का काउण्टर प्रार्थना पत्र बिना दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर होने अप्रार्थी एक अतिक्रमी होने एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मजबूत आधारों पर व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मूल वाद के निर्णय तक स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में न तो स्वयं व न ही अपने नौकर, मजदूर, एजेण्ट आदि के माध्यम से कोई बाधा नहीं पहुचाई जावें। अप्रार्थी सं. 7 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 751 का रेकर्डेड सयुक्त खातेदार है तंथा खसरा नम्बर 752 प्रार्थी की स्वयं की भूमि है। वादी ने वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के आधार पर बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसका निर्धारण मूलवाद में होगा। प्रार्थी ने अप्रार्थी जगदीश के अलावा अन्य संयुक्त खातेदारान को वाद/ प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है तथा न ही अपने प्रार्थना पत्र/वाद में यह कथन किया कि उन्हें पक्षकार बनाया जाना. क्यों आवश्यक नहीं है न्यायिक दृष्टान्त भरतसिंह बनाम नाथू वगैराह 2005(2)आर.आर.टी. 778, 2005 आर.आर.डी.450, 2005 आर.बी.जे. 345 में अभिनिर्धारित किया कि सहखातेदार को पक्षकार बनाये बिना धारा 212 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा ऐसे प्रार्थना पत्र पर कोई अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश देना विधि सम्मत नहीं है। वर्तमान उपरोक्त वादग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, इसलिए एक रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कही उल्लेख नहीं किया कि अप्रार्थी सं. 1 ने किस प्रकार जबरन कब्जा किया। जबकि अप्रार्थी अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी के पूर्व खातेदार मोडाराम रहे। मोडाराम के पूर्व वक्त सेटलमेंन्ट से खातेदार मुकनाराम वल्द कालू कौम माली साकिन खातेदार व उनके वारिसान की भूमि रही, जो अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वजों में से है। सेटलमेन्ट के बाद अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वज को मौके पर मकान निर्माण हेतु बंट दिया गया। अप्रार्थी सं.1 जन्म से इसी स्थान पर निवास करता आ रहा है। अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 7/1/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा